पंजीकृत लेखपत्र का प्रमाणपत्र
Certificate of Registered Document.

श्री/श्रीमती/सुश्री **राघवेन्द्र सिंह** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक **27-06-2024** के क्रम में कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार प्रमाणित किया जाता है कि लेखपत्र जिसका विवरण निम्न है, को कार्यालय उपनिबंधक **शिकोहाबाद** जनपद **फ़िरोजाबाद** के बही संख्या **4(विविध लेखपत्र)** खण्ड/ जिल्द संख्या **48** पृष्ठ संख्या- **87** से **116** क्रमांक **74** दिनांक **16-10-2023** को निबंधित / पंजीकृत किया गया है ।

- लेखपत्र का प्रकार **न्यास पत्र**
- प्रथम पक्ष का नाम **1.श्री राघवेन्द्र सिंह 2.श्री हरेन्द्र प्रताप सिंह 3.श्री रंजीत सिंह 4.श्री चन्द्रकान्त सिंह 5.श्री नवदीप कुमार**
- द्वितीय पक्ष का नाम
- सम्पत्ति का विवरण **आर०डी० ट्रस्ट, नरसिंह भवन, इटावा रोड, सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद,0 हे/ वर्ग मी**
- सम्पत्ति अवस्थिति **शिकोहाबाद,फ़िरोजाबाद**
- लेखपत्र में अदा स्टाम्प शुल्क रु० **14000/-**
- लेखपत्र में अदा निबंधन शुल्क रु० **2000/-**

Digitally signed by
Jitendra Kumar Yadav

उपनिबंधक/ रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी
कार्यालय शिकोहाबाद जनपद फ़िरोजाबाद
दिनांक **28-06-2024**

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

74/2-23

Certificate No.	:	IN-UP41687012783938V
Certificate Issued Date	:	13-Oct-2023 02:23 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14107404/ FIROZABAD/ UP-FRZ
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14107404793503748956
Purchased by	:	R D TRUST BY RAGHVENDRA SINGH AND OTHERS
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	R D TRUST BY RAGHVENDRA SINGH AND OTHERS
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	R D TRUST BY RAGHVENDRA SINGH AND OTHERS
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	14,000 (Fourteen Thousand only)

ACC NAME- Anand Kumar
Stamp Vendor
Licence Number
E-Stamping ACC Id-UP14107404
Tehsil-Shikohabad Distt. Firozabad

e-Stamp Locked

Please write or type below this line

ट्रस्ट - डीड/न्यास पत्र

रंजीत सिंह

IRD 0010127825

Statutory Alert:

आज दिनांक 14-10-2023ई0।

मैं **राघवेन्द्र सिंह** पुत्र श्री नरोत्तम सिंह, नरसिंह भवन इटावा रोड सिरसागंज जिला फिरोजाबाद का निवासी हूँ। मैं स्वयं एवं अन्य ट्रस्टियों के सहयोग के रूप में अर्जित कुल धन 2,00,000/- दो लाख रूपया लगाकर निम्न नामधारी ट्रस्ट/न्यास की स्थापना करता हूँ। इस ट्रस्ट/न्यास का प्रबन्धन कार्यप्रणाली, उद्देश्य एवं व्यवस्था निम्न नियमों / उपबन्धों के अन्तर्गत की जायेगी।

1. **ट्रस्ट का नाम** : **आर0 डी0 ट्रस्ट**
2. **ट्रस्ट का कार्यालय** : **नरसिंह भवन इटावा रोड, सिरसागंज, फिरोजाबाद**
3. **कार्य क्षेत्र** : **सम्पूर्ण भारत वर्ष**
4. **ट्रस्ट का उद्देश्य** : **ट्रस्ट के निम्न उद्देश्य होंगे :**

निम्न लिखित उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट गठित किया जाता है :-

- प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, सी0बी0एस0ई0 शिक्षा का प्रसार, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडीकल शिक्षा विशेष रूप से पारम्परिक भारतीय वैदिक विज्ञान तथा वेद, उपनिषद, वैदिक, ज्योतिष आयुर्वेदिक, नैसर्गिक चिकित्सा, रत्न विज्ञान, मेडीटेसन (मनन) आदि पर आधारित शिक्षा,व्यवहार एवं स्वास्थ्य का विकास।
- उपरोक्त के आधार पर जीवन के सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक एवं तार्किक जीवन यापन को बढ़ावा देना।
- उपरोक्त हेतु वैज्ञानिक कार्यशालाओं / अनुसंधान अध्ययनों तथा व्यवहारिक कार्यक्रमों को बढावा देना
- उपरोक्त हेतु वैज्ञानिक कार्यशालाओं, प्रशिक्षण शिविर सेमिनार एवं संगोष्ठी का आयोजन करना
- उपरोक्तानुसार कार्यक्रम आयोजित करने वाले संगठनो के समूहों या व्यक्तियों को सलाह प्रदान करना।

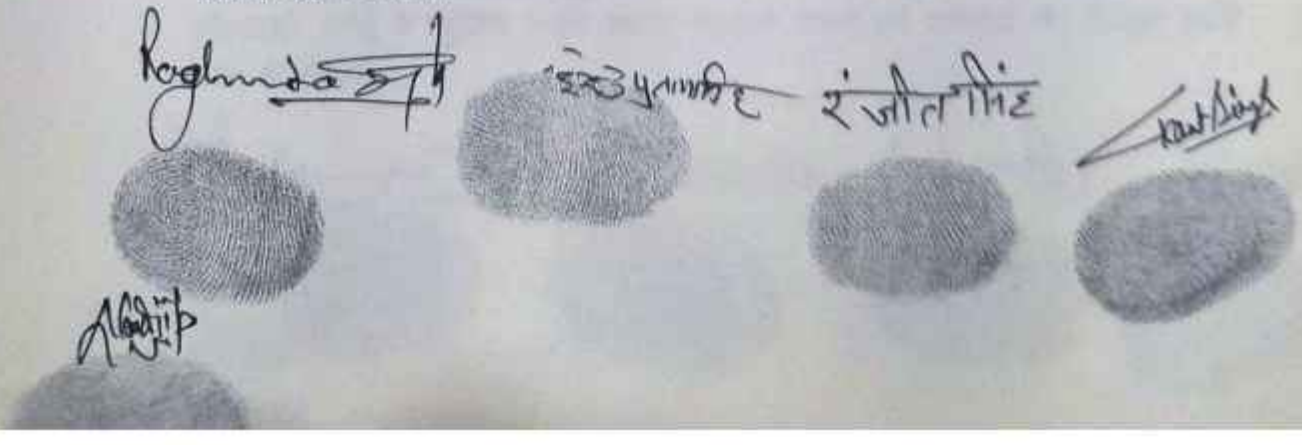

Nitin Srivastava
Advocate
Reg. No.- UP00308/18
Tehsil, Shikohabad (Firozabad)

...ava
...cate
Reg. No.- UP00308/18
Tehsil, Shikohabad (Firozabad)

- ट्रस्ट का उद्देश्य सामाजिक कार्य एवं जनता में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना एवं विद्यालयों/उच्च संस्थानों/तकनीकी एवं इंजीनियरिंग एवंम इण्टर कॉलेजों की स्थापना करना व उच्च शिक्षा जैसे– बी०ए०, एम०ए०, बी०एस०सी०, एम०एस०सी०, बी०कॉम, एम०कॉम, शिक्षक प्रशिक्षण (बी०एड०), बी०पी०एड०, एम०पी०एड०, बी०बी०ए०, बी०सी०ए०, एम०बी०ए०, सी०पी.एड० एवं समस्त यू०जी० व पी०जी० कक्षाओं की स्थापना करना तथा मेडिकल कॉलेज हेतु मेडिकल सम्बन्धित हॉस्पीटल का निर्माण कराना एवं इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कर शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना, छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्तियां दिलाना तथा उनकी सुविधा हेतु पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास एवं क्रीड़ाकेन्द्र आदि की समुचित व्यवस्था करना व निःशुल्क कोचिंग क्लास लगवाना।
- न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किताबें, समाचार पत्र सावधिक (पीरियोडिकल्स) जर्नल, संवाद पत्र (न्यू लेटर) दृश्य–श्रव्य एवं डिजीटल डाटा आदि का प्रकाशन करना।
- न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्यरत व्यक्तियों, समूहों, संगठनों एवं समितियों आदि के लिए सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करना।
- पर्यावरण संरक्षण को बढावा देना तथा उद्देश्य हेतु संस्थाओं को स्थापित करना तथा अभिव्रित करना।
- न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक कानूनों, लाभकारी नियम एवं परिनियमों के निर्माण हेतु वार्तायें, संगोष्ठी आदि आयोजित करना, ज्ञान प्रसारित करना तथा न्यास के उद्देश्यों हेतु जनहित याचिक आयोजित करना तथा जनता को उत्प्ररित करना।
- न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जनता को अध्ययन, अनुसंधान, अध्यापन आदि की संस्थाओं आदि में सुविधा प्रदान करना जिससे कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन अच्छी तरह हो सके।

रंजीत सिंह

- इस न्यास के उद्देश्यों का प्रचार – प्रचार ऐसे माध्यमों से करना जो उचित समझें जाये विशेष रूप से जैसे प्रेस परिपत्र (सरकुलर) इसकी कार्यी प्रदर्शनी, पारितोषिक तथा दान आदि वितरित करना।
- न्यास के उद्देश्यों के सम्बन्ध में, अनुवेश एवं संदर्भ पुस्तकालय स्थापित करना तथा उनमें पढने–लिखने के कमरे स्थापित करना और पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों तथा अन्य प्रकाशनों का उपलब्ध कराना।
- अस्पताल, मेडीकल कालेज, स्कूल, अभिशंत्रण, चिकित्सा, प्रबन्धक तथा विधि विद्यालय, **विश्वविद्यालय, इन्जीनियरिंग कॉलेज, कोचिंग/ प्राईवेट कोचिंग**, डिस्पेन्सरी, प्रसूती गृह, बाल कल्याण केन्द्र परिचर्या गृह, क्रैच तथा अन्य इसी प्रकार के पूर्त संस्थाओं की जन सामान्य के लाभ हेतु भारत या विदेश में ही स्थापना करना, उनका उत्थान करना व उन्हें धन व अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना।
- परिवार कल्याण एवं उससे सम्बन्धित अन्य समस्त प्रकार के कार्यक्रम।
- भारतीय तथा अन्य देशों में स्कूल, कालेज, पुस्तकालय, अध्ययन कक्षों, विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, बचत निधि एवं अन्वेषण संस्थान व अन्य प्रकार के संस्थान जो छात्र व कर्मचारियों के लाभ के लिए हो, को स्थापित करना, चलाना, मदद करना व आर्थिक सहायता देना तथा शिक्षा विकास एवं प्रगति और ज्ञान का जन सामान्य में प्रसार करना।
- विभिन्न संक्रामक / गैर संक्रामक बीमारियों जैसे–एड्स, मस्तिष्क ज्वर, कुष्ठ रोग, कैंसर, पोलियो, मोतियाबिन्द आदि रोकथाम के लिए सरकार व अन्य सामाजिक संगठनों तथा व्यक्तियों के मदद से कार्य करना।
- उद्यान (पार्क), व्यायामशाला, क्रीडा क्लब व धार्मिक स्थान व विश्राम गृह, मनोरंजन क्लब धर्मशाला आदि की जन समान्य के उपयोग के लिए स्थापना करना, उन्हें चलाना तथा उनकी सहायता करना।
- वचारकों, विधवाओं, अंधों, वृद्धों, गरीबों, जरूरतमंदो, अभावग्रस्त व्यक्तियों के लिए आश्रम गृह, धर्मशाला, विद्यालय, नवजात शिशुओं के लिए आश्रय गृह, अनाथालय, सार्वजनिक बारात घर आदि स्थापित करना व उनका प्रबन्ध करना और इस प्रकार के लोगो की सहायता करना।
- शारीरिक रूप से विकलांग, अक्षम और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए संस्थान की स्थापना करना तथा विकास करना जिसमें ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा, भोजन, कपडा आदि देकर सहायता की जाय।
- अन्य सार्वजनिक पूर्त (पब्लिक चैरिटेबिल ट्रस्ट) व अन्य ऐसे संस्थाओं की स्थापना व सहायता करना।
- कृषि, बागवानी, पशुपालन, गृह–उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, नारी उत्थान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनताति, पिछडे वर्ग का उत्थान, भ्रष्टाचार निरोध, कानूनी एवं व्यवस्था का विकास, सौन्दर्यीकरणण का विकास, औद्योगिक संस्थान, नागरिक

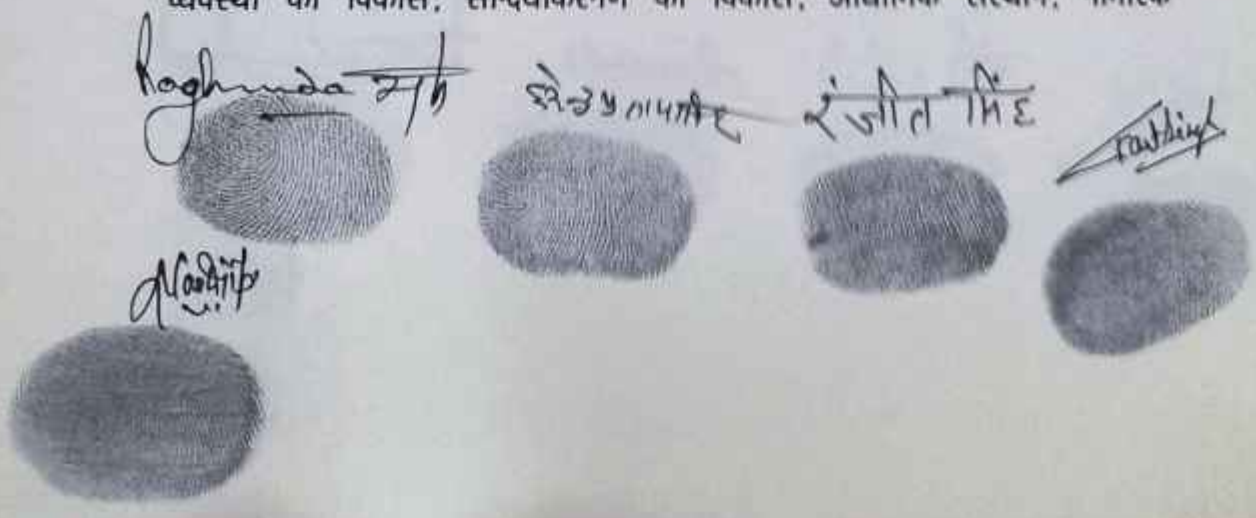

उड्डयन, सहकारिता, ऊर्जा, शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च प्रावधिक, चिकित्सा, कम्प्यूटर, कृषि इत्यादि) संस्कृत शिक्षा, वन आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी, महिला कल्याण, भाषा, धर्मार्थ कार्य, लोकनिर्माण, सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण, स्वास्थ एवं चिकित्सा, आयुर्वेद एवं हांम्योपैथिक चिकित्सा, परिवहन, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, पर्यटन, खाद्य एवं रसद, मनोरंजन, बाल विकास एवं पुष्टाहार, श्रम, भूतत्व एवं खनिजकर्म, खेलकूद, युवा कल्याण, खादी एवं ग्रामोद्योग, भूमि विकास, जल संस्थान, परती भूमि विकास, उद्यान, पर्यावरण, लघु उद्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग, दुग्ध विकास, ग्राम्य विकास, संस्कृति, मत्स्य, विकलांग कल्याण, पंचायतराज, आबकारी, ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, नागरिक सुरक्षा, न्याय एवं विधि संस्थायें, नियोजन, निर्वाचन एवं पंचायती राज, बैंकिंग भाषा, मुद्रण एवं लेखन, भूमि विकास एवं लघु संसाधन, राष्ट्रीय एकीकरण, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी, सतर्कता, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, सूचना एवं जनसंम्पर्क, अल्पसंख्यक कल्याण कृषि विपणन, निर्यात प्रोत्साहन, पुरातत्व, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, प्राणि उद्यान, एड्स नियंत्रण, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, सैनिक कल्याण, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा, सैनीय निकाय, यूनानी चिकित्सा, प्रशासन एवं प्रबन्धन संस्थाऐं, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रिमोट सेंसिंग, ललितकला, चित्रकला, वैकल्पिक उर्जा विकास संस्थान, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान आन्तरिक लेखापरीक्षा, संगीत, नाटक, स्वतंत्रता सग्राम सैनानी, उपभोक्ता हेतु संरक्षण, भूमि सुधार, भण्डारण, विचार, प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया, कम्प्यूटर तथा अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थायें आदि स्थापित करना उनका विकास करना और प्रबन्धन करना।

- उपरोक्त सभी क्रिया-कलापों हेतु राज्य/केन्द्र सरकार/अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं/अन्य राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय ट्रस्ओं तथा जागरूक व्यक्तियों से अनुदान/मदद करना।
- अनुदान/दान आदि प्राप्त करने के लिए न्यास परिषद के अध्यक्ष ही अधिकृत होंगे।
- ट्रस्ट की मूल राशि से आय उत्पन्न करना तथा दान एवं अन्य सहयोग से समय-समय पर लेकर ट्रस्ट की सम्पत्ति की वृद्धि करना।
- छात्र-छात्राओं, कामकाजी महिलाओं, वृद्धों, विधवाओं तथा अनाथों के लिए छात्रावास/आश्रम की व्सवस्था जिसमें शिक्षा/भोजन की सुविधायें भी हों।
- **ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं विद्यालयों, महाविद्यालयों आदि की मान्यता प्राप्ति हेतु संम्बन्धित संस्थान, बेसिक शिक्षा परिषद, विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद, आई0सी0एस0ई0, ए0आई0सी0टी0ई0, यू0जीवसी0, एन0सी0टी0ई0, सी0बी0एस0ई0 व विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्ति हेतु सम्बन्धित विद्यालय, शिक्षण संस्थान अधिकृत होंगे तथा विद्यालय व संस्थान की संचालन समिति नियमों-परिनियमों को मानने एवं स्वीकृत करने हेतु अधिकृत होंगे।**

रंजीत सिंह

- ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी भी संस्थान हेतु किसी भी प्रकार की चल–अचल सम्पत्ति ट्रस्ट के नाम या संस्थान के नाम खरीदने (क्रय–विक्रय करने), दान लेने, लीज पर लेने हेतु तथा उसको बैंक ऋण या किसी अन्य ऋण हेतु बन्धक करने, प्रतिभूति में रखने, मोर्टगेज करने अथवा ऋण चुकौती के उद्देश्य से रखने के लिए ट्रस्ट समय–समय पर जरूरत के अनुसार निर्णय लेगी।
- ट्रस्ट द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं के समस्त प्रकार के प्रशासनिक व वित्तीय निर्णय व ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थओं के लिए चल–अचल सम्पत्ति के क्रय–बिक्रय हेतु, बंधक रखने, गिरवी रखने, किसी बैंक संस्थान, कॉरपोरेशन आदि से ऋण लेने के सापेक्ष प्रतिभूति के रूप में रखने या प्रमाणित करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी (अध्यक्ष/प्रबन्धक) को प्राप्त होगा।
- ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थओं के सम्बन्ध में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राईवेट बैंक एवं शिड्यूल कॉमर्शियल बैंक, कॉओपरेटिव बैंक में खाता खोलना, ऋण लेना, खाते का परिचालन करना, ऋण सम्बन्धित दस्तावेजों पर अधिकृत व्यक्ति के साथ अध्यक्ष (मुख्य ट्रस्टी)/प्रबन्धक का संयुक्त हस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।

5. न्यास की धन सम्पदा एवं सम्पत्तियाँ :– न्यास के उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु ट्रस्ट के संस्थापक श्री राघवेन्द्र सिंह एवं अन्य ट्रस्टियों द्वारा लगाये गये दो लाख रूपये (2,00,000/–) की ट्रस्ट की मूल राशि कहा जायेगा।

6:– ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति (न्यासी परिषद) अपनी समान्य शक्तियों को अप्रभावित रखते हुए और भारतीय न्यास अधिनियम 1982 में कुछ भी विपरीत लिखे होते हुए भी, भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुरूप निम्नलिखित शक्तियाँ धारण करेगी।

- ट्रस्ट / न्यास के लिए सहयोग, चन्दा आम जनता, किसी भी व्यक्ति, फर्म, एसोशिएशन, किसी अन्य न्यास या कार्पोरेट बाडी इत्यादि से धनराशि या अन्य किसी रूप में शर्तो के साथ या बिना शर्तो के स्वीकार करना।
- इस न्यास पत्र की शर्तों के अधीन न्यास की सम्पत्तियाँ तथा आय या उसके किसी भाग को न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपने विवेकानुसार समय–समय पर उपयोग करना।
- न्यास राशी को बढाने हेतु न्यास की शर्तों के अधीन न्यास के लिए चल व अचल सम्पत्तियाँ प्राप्त करना।
- न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समय–समय पर न्यास की सम्पत्तियों का बिक्रय करना, बंधक रखना, पट्टे पर देना व किसी अन्य प्रकार अन्तरित करना।

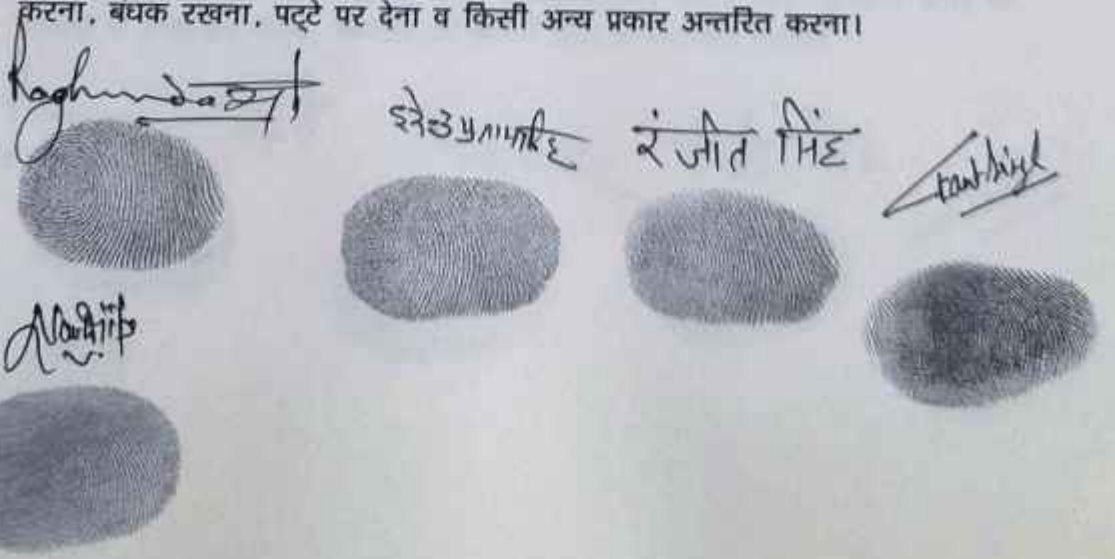

- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13 (1) तथा धारा 11 (5) एवं सम्बन्धित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में लगाना।
- विभिन्न योजनाओं में लगाये गये न्यास के धन को वापस लेना उसमें परिवर्धन करना या निरस्त करना।
- न्यास के उद्देश्यों के हित में समझौता करना तथा परिवर्तित एवं निरस्त करना।
- न्यास के उद्देश्यों हेतु अनुदान प्राप्त करना या देना उसकी रसीद देना या प्राप्त करना।
- सरकार के समक्ष तथा न्यायालय, ट्रिब्यूनल, राजस्व म्युनिस्पल तथा स्थानीय निकाय आदि के सम्मुख न्यास का प्रतिनिधित्व करना तथा सभी प्रकार के मुकदमें वाद, अपील, रिब्यू, चाहें व न्यायालय के समक्ष हों या अन्य अधिकारियों व निकाय व ट्रिब्यूनल के समस्त आदि को दायर करना, उन्हें चलाना तथा ऐसे वादों में जो न्यास के विरूद्ध दायर किये गयें हों न्यास के हित की प्रतिरक्षा करना।
- न्यासियों द्वारा निर्धारित शर्तो व वेतन पर किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों को न्यास के कार्यो हेतु नियुक्त करना और ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना और उनकी सेवायें समाप्त करना। न्यास परिषद के ऐसे कार्यो को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि में विवादित नहीं किया जा सकेगा या चिनौती नहीं दी जा सकेगी।
- न्यास की सम्पत्ति या क्रिया कलापों के जरूरी प्रबन्धन के लिए न्यास परिषद जो भी व्यय या खर्च आवश्यक मुझे उनका वहन करना।
- न्यास या उसके द्वारा संचालित संस्थाओं आदि के सम्बन्ध में बैंक में खाता खोलना तथा एक या एक से अधिक न्यासी द्वारा उक्त बैंक खाता खोलने तथा चलाने की व्यवस्था करना।
- न्यास परिषद की सहमति पर भी अपनी कुछ शक्तियाँ किसी न्यासी या अन्य व्यक्ति को प्रतिनिधि करना, परन्तु ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के कार्य व्यवहार को न्यासीगणों के नियंत्रण एवं निर्देशों के अधीन रखना।
- न्यास की चल या अचल सम्पत्ति व फण्ड किसी ऐसे अन्य न्यास को हस्तान्तरित करना, जो इस न्यास के समान हों तथा आंयकर अधिनियम 1980 की धारा 80 में मान्यता प्राप्त हो न्यासियों की सहमति पर लोगों को न्यास की संचालित संस्थाओं का समय-समय पर सदस्य बनाना तथा नियम व परिनियम को बनाना तथा उनमें परिवर्तन करना, परन्तु संस्थाओं के ऐसे सदस्यों को इस न्यास में मताधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- न्यासीगणों की सहमति से निर्धारित शर्तो के अनुसार न्यास की अचल सम्पत्ति को किराये पर देना या हस्तान्तरित करना।
- न्यास राशि के लिए सभी प्रकार की कार्यवाही शर्तो, दावों, मॉग, मुकदमा आदि के सम्बन्ध में समझौता करने, मध्यस्थ को सौंपने तथा समीयाचित करना।

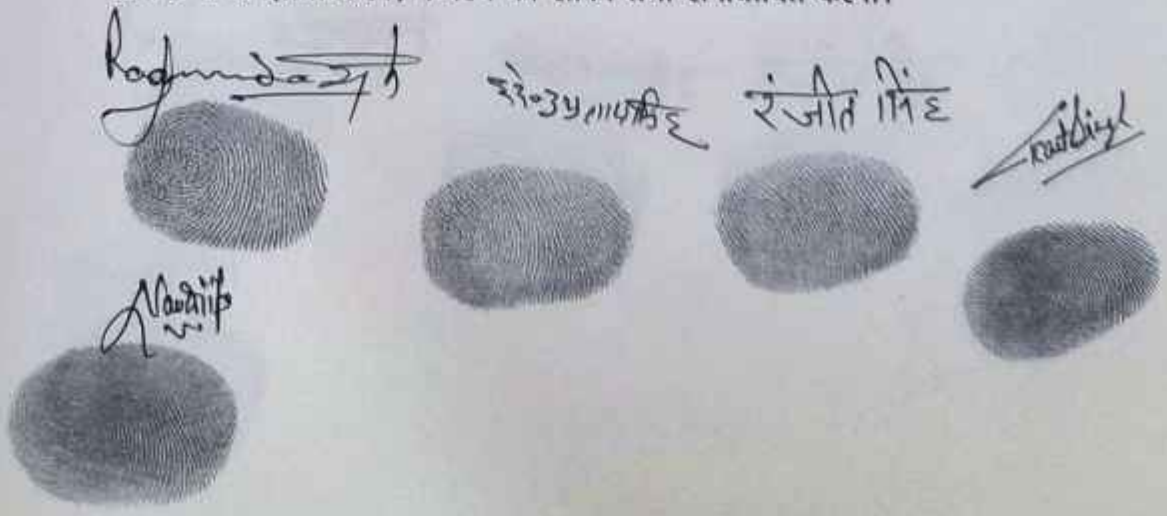

- समय-समय पर मुख्त्यार-ए-आम या मुख्त्यार-ए-खास या अभिकर्ता नियुक्त करना और मुख्त्यार-ए-आम या मुख्त्यार-ए-खास या अभिकर्ता को अपनी शक्तियाँ प्रतिनिधानित करना और अधिकृत करना तथा समय-समय पर ऐसे मुख्त्यार व अभिकर्ता को हटाना व उनके स्थान पर अन्य नियुक्त करना।
- न्यास उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परिनियम को बनाना तथा उनमें परिवर्तन करना और न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास/न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के क्रिया - कलापों के प्रबन्धन आदि हेतु योजनाऐ तथा परिनियम बनाना व उनमें परिवर्तन करना
- जनहित में किसी भी पूर्व संस्था को प्रारम्भ करना, समाप्त करना, स्थगित करना, पुनः प्रारम्भ करना या स्थापित करना और उन संस्थाओं को प्राप्त दान व चन्दा के सम्बन्ध में शर्तें लागू करना।
- न्यास की आय न्यास के विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार विभाजित करना और न्यास विधि में जमा करना।
- देश व विदेश में ऐसे न्यास, न्यास पूर्त संस्थाऐं/सोसाइटी/संगठन आदि की न्यास की आय में से दान आदि देकर सहायता करना, जिनके उद्देश्य इस न्यास के समकक्ष व समान हो तथा और किसी भी प्रकार से न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। ऐसे न्यासों, न्यास पूर्व संस्थाओं/समितियों/संगठनों इत्यादि को पुनः प्रारम्भ करना तथा न्यास के उद्देश्यों हेतु संचालित करना।
- संस्था के खातों का व्यवस्थित तथा हानि का दायित्व न लेते हुए न्यास के कार्य कलापों, कार्यवाहियों, माँगों दावों या वाद-विवाद में जैसा व उचित समझें समझौता करना, उसका परित्याग करना या न्यास को फेसले हेतु सौंपना।
- न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारा, सहकारी संस्थाऐं, कार्पोरेशन कम्पनी व अन्य व्यक्तियों से दान, चन्दा, उपहार, मदद एवं धन लेने के लिए प्रार्थना-पत्र देना तथा चन्दा आदि प्राप्त करना इस सम्बन्ध में सहायता सम्बन्धी शर्तो को निश्चित करना तथा शासकीय विभागों, सरकारी कार्पोरेशन कम्पनी व अन्य व्यक्यिों आदि से न्यास के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वार्ता करना, समझौता करना तथा अनुदान की प्राप्त तथा ऋण वापसी इत्यादि निर्धारित करना।
- न्यास की सहमति पर न्यास को अन्य समान उद्देश्यों वाले न्यास/सोसाइटी/संगठन व संस्था का सहयोगी बनाना या सम्मेलन करना जो आयकर अधिनियम 1861 की धारा 80 जी में मान्यता प्राप्त हो या ऐसी संस्थाओं को अपने अधिकार में लेना व स्वयं 12ए व स्वंय 80जी की मान्यता प्राप्त करना।
- न्यास की अन्य शाखा अथवा अन्य न्यास या उसकी शाखा (जिनके उद्देश्य समान हो) को स्थापित करना, असुरक्षित करना, व्यवस्थित करना, सहायता करना, संचालित करना या उन्हें इस न्यास से जोडना या इस न्यास में सम्मलित कर लेना।

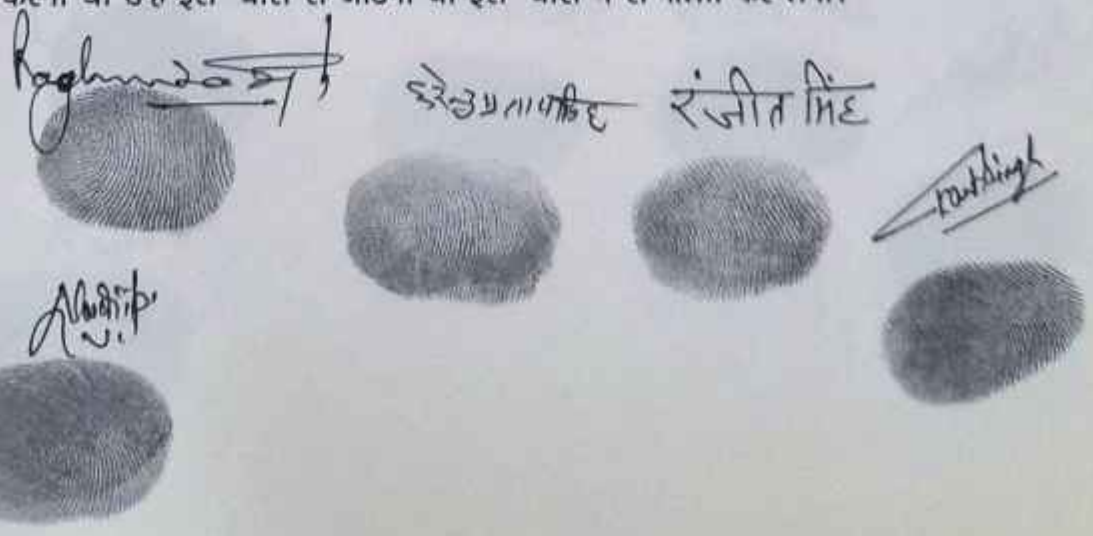

- ऐसी संस्थाओं को लेना या उन पर नियंत्रण करना या उन्हें प्रतिबन्धित करना या उन्हें सहायता देना या अनुरक्षित करना, जिनका उद्देश्य न्यास के समान व समकक्ष हो तथा इस सम्बन्ध में शर्तें लागू करना।
- इस न्यास में जिन अन्य न्यासें, संस्थाओं, संगठनों, समितियों को सम्मिलित किया जा सकता है, को खरीदना व प्राप्त करना।
- न्यास की सम्पत्ति, आस्ति, दायित्व आदि किसी अन्य ऐसे न्यास, समिति, संस्था या संगठन को हस्तान्तरित करना, जिसमें न्यास का विलय होना अधिकृत किया गया है।
- न्यास को अन्य समिति, संस्था, न्यास या संगठन को उन शर्तों में सौपना जिन्हें न्यासीगण उचित समझें, परन्तु इस सम्बन्ध में अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होगी एवं ऐसा होने पर न्यासगण अपने दायित्व से अनुमोदन हो जायेगें और न्यास राशि भी हस्तान्तरित हो जायेगी।
- न्यास के आवर्तक व अनावर्तक व होने वाले खर्चो को निश्चित करना, उन्हें अनुमोदित करना व आवंटित करना और इस सम्बन्ध में न्यासीगण कार्यभार के सम्बन्ध में और इससे सम्बन्धित होने वाली बैठकों के सम्बन्ध में नियम बना सकतें हैं और उन नियमों का समय-समय पर संशोधित कर सकते हैं। इस प्रकार बनायें गये सभी नियम अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन होने के उपरान्त ही प्रभावी होंगें।
- न्यास व इनकी संस्थाओं के संचालन व परिवर्धन हेतु व्यक्ति या व्यक्तियों जिसमें न्यासी/प्रबन्ध - न्यासी व समिति आदि शामिल ह.को नियमानुसार नियुक्त करना तथा इस सम्बन्ध में अपने नियम व परिनियम बनाना एवं विभिन्न पूँजी व निवेश के सम्बन्ध में न्यास के प्रावधानों के अनुसार नियम व परिनियम बनाना तथा विभिन्न न्यासी नियुक्त करना।
- न्यासीगण आवश्यकतानुसार मानदेव पर कर्मचारी व सहयोगी नियुक्त कर सकते है, जिसमें न्यास का समुचित प्रावधान किया जा सके।
- न्यासीगण को यह अधिकार होगा कि वे आर्थिक तकनीकी व अन्य प्रकार की सहायता व अन्य व्यक्तियों से अधिकारियों या संस्था से उन शर्तो पर ले सकते है जो उन्हें उचित लगे तथा जो न्यास के उद्देश्यों से सांमजस्य रखती हो।
- न्यासीगण अपनी समस्त शक्तियों को प्रयोग आपसी बहुमत के निर्णय के आधार पर कर सकेगें और बहुमत द्वारा लिये गये निर्णय प्रभावी कानूनी व उचित माने जायेगें।
- उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अध्यक्ष के अनुमति से अन्य ट्रस्ओं की वित्तीय या अन्य प्रकार की मदद उपलब्ध कराना।

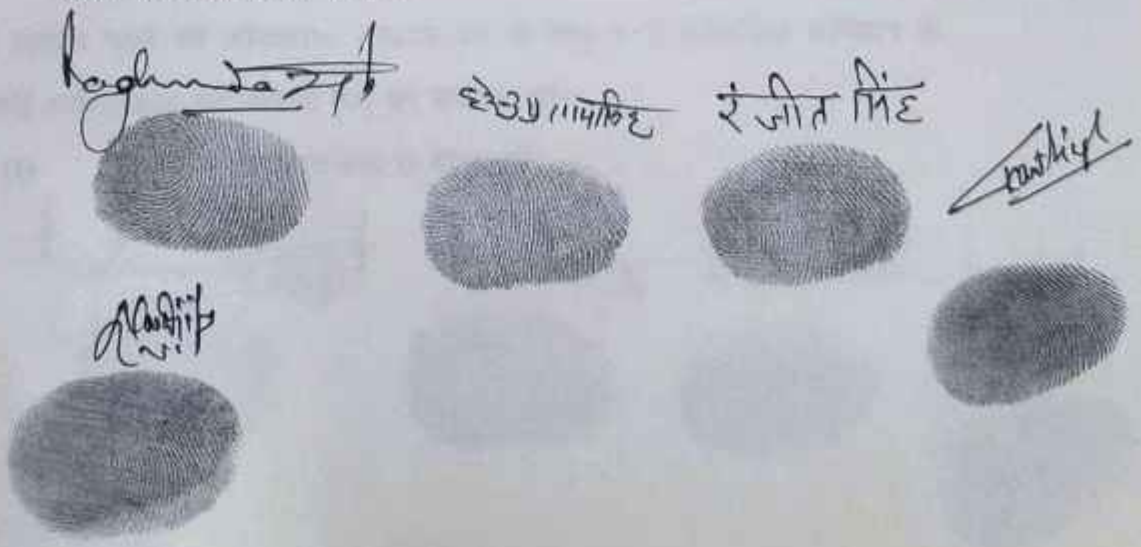

7:– ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति का गठन:– श्री राघवेन्द्र सिंह, श्री हरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रंजीत सिंह, श्री चन्द्रकान्त सिंह व श्री नवदीप कुमार ट्रस्ट के संस्थापक माने जायेगें। सदस्यों का पूरा नाम व पता निम्नवत् है:–

क्रम सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पता
1	श्री राघवेन्द्र सिंह आधार कार्ड – 7298 9913 7472 पैन कार्ड – AGSPS5075K मो0 नं0 – 9412265838	स्व0 श्री नरोत्तम सिंह	इटावा रोड, सिरसागंज फिरोजाबाद
2	श्री हरेन्द्र प्रताप सिंह आधार कार्ड – 5977 9554 7259 पैन कार्ड – AJUPS0184J मो0 नं0 – 9412265863	स्व0 श्री कर्णपाल सिंह	इटावा रोड, सिरसागंज फिरोजाबाद
3	श्री रंजीत सिंह आधार कार्ड – 6218 1841 2170 पैन कार्ड – ATKPS9602F मो0 नं0 – 9758506356	श्री कृष्णपाल सिंह	इटावा रोड, सिरसागंज फिरोजाबाद
4	श्री चन्द्रकान्त सिंह आधार कार्ड – 2121 5363 0573 पैन कार्ड – DBHPS0211Q मो0 नं0 – 9456275757	श्री चन्द्रपाल सिंह	इटावा रोड, सिरसागंज फिरोजाबाद
5	श्री नवदीप कुमार आधार कार्ड – 7408 0554 4314 पैन कार्ड – AKHPK5850B मो0 नं0 – 9411059666	स्व0 श्री अरविन्द कुमार	इटावा रोड, सिरसागंज फिरोजाबाद

संस्थापक सदस्यों द्वारा ट्रस्ट को अधिक प्रजातांत्रिक बनाने एवं अधिकतम कार्यकुशलता लाने के दृष्टिकोण से समाज के सम्मानित सदस्यों को ट्रस्ट/न्यास का सदस्य बनाया जा सकता है। ट्रस्ट/न्यास का सदस्य बनने की योग्यता रखने वाले ऐसे सभी लोग जो ट्रस्ट को 10,000.00/– (दस हजार रूपया) दान दें, संस्थापक सदस्यों के बहुमत द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर ट्रस्ट/न्यास के सदस्य बन सकते हैं।

संस्थापक सदस्यों एवं नियमानुसार बनाये गये अन्य सदस्यों/ट्रस्टी/न्यासी को मिलाकर सदस्यों को ट्रस्ट की साधारण सभा/ न्यासी परिषद कहा जायेगा।

श्री राघवेन्द्र सिंह ट्रस्ट के अजीवन अध्यक्ष रहेंगें। तदोपरान्त ट्रस्टियों की वंशीवली का पुरूष सदस्य संस्था का अध्यक्ष बनेगा।

अध्यक्ष पद पर कभी भी किसी भी दशा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठेगा जो उक्त ट्रस्टियों का वंशज न हो।

8:– ट्रस्ट का सदस्य बनने की योग्यता:– न्यास पत्र के बिन्दु–7 में उल्लिखित प्राविधान के बावजूद ऐसा कोई व्यक्ति ट्रस्ट का सदस्या नहीं बन सकता, जो–

(I) पागल मानसिक रूप से बीमार हों।

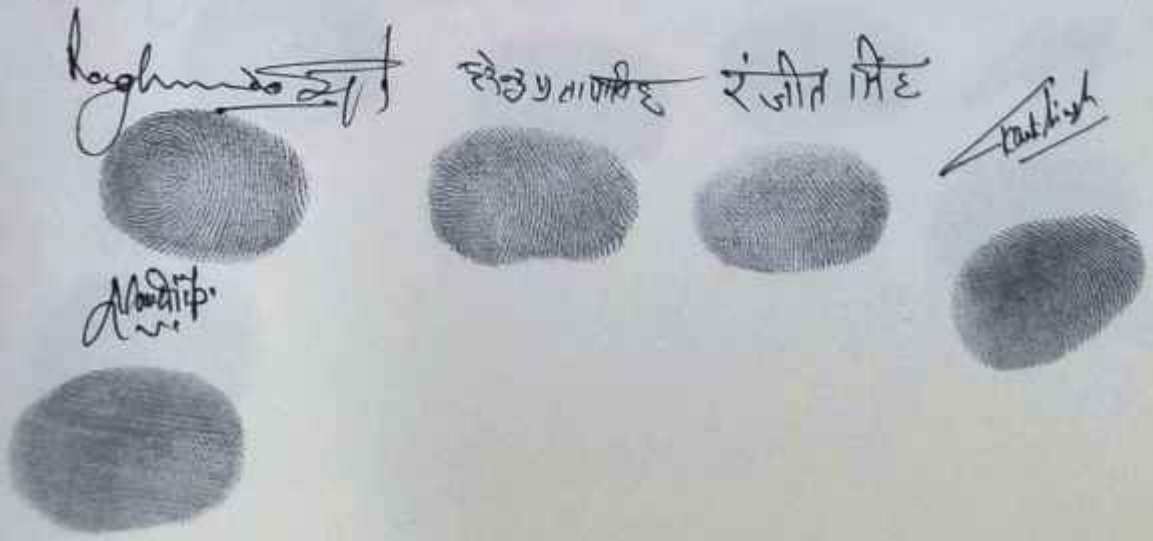

(II) नैतिक अपराध के आरोप में सजायाफ्ता हो।

(III) ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करें।

यदि ट्रस्ट का कोई सदस्य, सदस्य बनने के बाद उक्त तीनों में से किसी एक प्रतिबन्ध के अन्तर्गत आ जाता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। ऐसे किसी भी सदस्य को अध्यक्ष अपने विवेकानुसार कभी भी बर्खास्त कर सकेगा।

9:– ट्रस्ट की कार्य प्रणाली:–

(I) ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेगी। अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी होग तथा वह प्रबन्ध समिति एवं ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेगा।

(II) कोई भी निर्णय ट्रस्ट की साधरण सभी बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किये जाने पर ही ट्रस्ट का निर्णय माना जायेगा।

(III) ट्रस्ट का साधारण सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष में दो बार कराया जाना आवश्यक होगा। बैठक बुलाने का दायित्व एवं बैठक में लिए गये समस्त निर्णयों तथा अन्य विचार–विमर्श को लिपिबद्ध कराते हुये सुरक्षित रखने का दायित्व सचिव/मंत्री का होगा।

(IV) ट्रस्ट की साधारण सभा सदस्य संख्या 1/3 की उपस्थिति बैठक के संचालन हेतु आवश्यक होगी। इसके अभाव में कोरम (गणपूर्ति) का अभाव माना जावेगा। कोरम के अभाव में स्थगित हुयी बैठक के एक माह के भीतर दुबारा बैठक कराना अनिवार्य होगा।

(V) कोरम (गणपूर्ति) के अभाव में बैठक आयोजित न होने की दशा में या अन्यथा भी अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के हित में लिया गया कोई निर्णय ट्रस्ट का निर्णय माना जायेगा, किन्तु ऐसे किसी भी निर्णय के पक्ष समर्थन में संस्थापक सदस्यों की कम से कम कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्यों की लिखित सहमति आवश्यक होगी।

(VI) बैठक की सूचना सभी सदस्यों को उनके स्थाई पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से बैठक के दिनांक से न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व दी जायेगी।

(VII) ट्रस्ट अध्यक्ष (मुख्य ट्रस्टी)/प्रबन्धक द्वारा सदस्यों व पदाधिकारियों के प्रति यह भी देखना कि वे सुचारू रूप से कार्य कर रहें हैं कि नहीं यदि कोई सदस्य या पदाधिकारी संस्था के नियमों के विरूद्ध कार्य कर रहे हैं या संस्था की प्रतिष्ठा को किसी भी प्रकार की हानि पहुँचा रहे हैं तो वह ऐसे सदस्य या पदाधिकारी या इकाई सदस्य को पद व सदस्यता से इस्तीफा देने का परामर्श दे सकता है अथवा उन्हें कार्य मुक्त या पद व सदस्यता से निष्कासित कर सकता है ऐसे सदस्य या पदाधिकारी को अध्यक्ष (मुख्य ट्रस्टी) के निर्णय के विरूद्ध अपनी बहाली की किसी प्रकार की अपील करने का कोई अधिकार भी नहीं होगा।

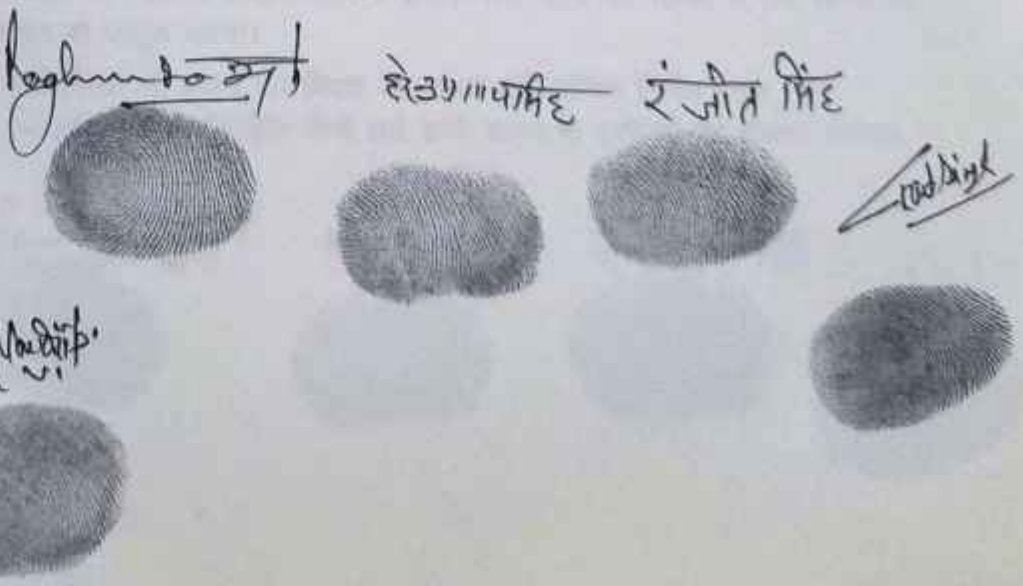

10 :– ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति :–

ट्रस्ट के निम्न पदाधिकारी होंगे –

(i) अध्यक्ष
(ii) उपाध्यक्ष
(iii) सचिव/मंत्री
(iv) कोषाध्यक्ष
(v) सदस्यगण

ट्रस्ट का अध्यक्ष अपने उपाध्यक्ष का चयन ट्रस्ट के संस्थापक सदस्यों में से स्वयं करेगा। इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम होगा। सचिव/मंत्री, कोषाध्यक्ष का चयन ट्रस्ट की साधारण सभा द्वारा अपनी बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से किया जायेगा। सचिव/मंत्री तथा कोषाध्यक्ष पद हेतु किसी भी सदस्य को साधारण सभा में दो तिहाई बहुमत का समर्थन न मिलने की दशा में संस्थापक सदस्यों के बहुमत के द्वारा उक्त पद धारकों का चयन किया जायेगा। किसी कारणवश किसी दशा में चयन न हो पाने की दशा में उक्त पदों पर चयन होने तक पदाधिकारियों को मनोनित किया जावेगा।

ट्रस्टियों/न्यासीगणों के अधिकार :– ट्रस्ट के पदाधिकारियों/सदस्यों के अधिकार निम्नवत् होंगे–

(क) अध्यक्ष :–

ट्रस्ट का साधारण सभा या पदाधिकारियों या अन्य सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना एवं उनके सुचारू संचालन हेतु नियत निर्देश तय करना।

- मतदान की स्थिति में समान मद होने की स्थिति में मतदान करना।
- ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्टी को ट्रस्ट से बर्खास्त करना।
- उपाध्यक्ष का चयन करना।
- न्यास व न्यास से सम्बन्धित समस्त संस्थाओं के समस्त कर्मचारियों की नियुक्ति व सेवा संचालन तथा सेवा समाप्त।
- न्यास/न्यास सम्बन्धित समस्त संस्थाओं के सम्बन्ध में समस्त प्रकार की प्रशासनिक व वित्तीय निर्णयों (जो ट्रस्ट द्वारा लिये गये तो) के क्रियान्वयन को स्वंय या किसी के माध्यम से सुनिश्चित करना एवं न्यास/ ट्रस्ट के द्वारा क्रय की जाने वाली किसी भी सम्पत्ति को अपने हस्ताक्षरों द्वारा क्रय करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा, इसमें अन्य किसी ट्रस्टी के हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं होगी।
- न्यास के सभी पत्राचार अध्यक्ष के नाम होंगे।
- न्यास की समस्त राशियों का व खातों का, कोषाध्यक्ष के सहयोग से संचालन।
- सभी प्रकार के वित्तीय हिसाब–किताब रखना तथा ट्रस्ट की बैठकों में उन्हें कोषाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करना।
- जहाँ कहीं किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो वहाँ अन्तिम निर्णय देना।

(ख) उपाध्यक्ष :– अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किये गये सभी प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करना।

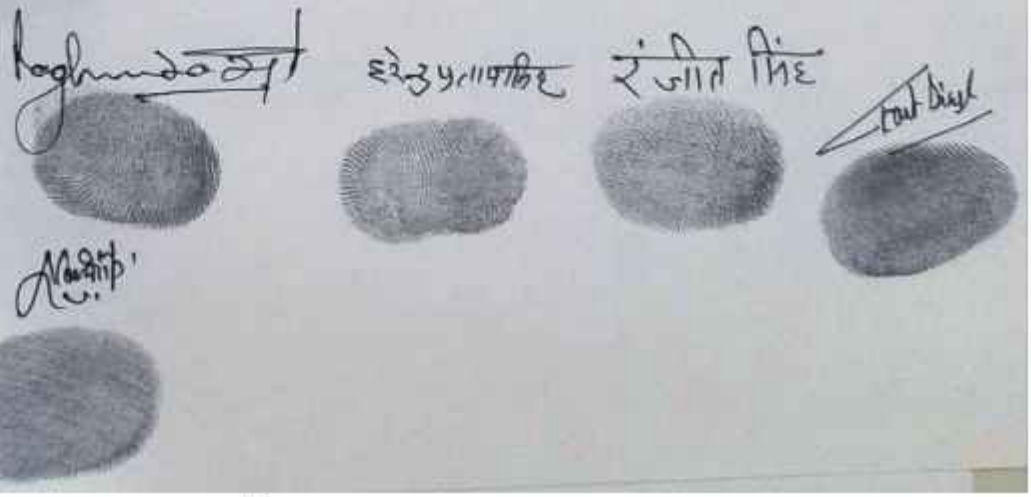

आवेदन सं०: 202300774014082

न्यास पत्र

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 74 वर्ष: 2023

प्रतिफल- 200000 स्टाम्प शुल्क- 14000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 2000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 2080

श्री राघवेन्द्र सिंह ,
पुत्र श्री नरोत्तम सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: इटावा रोड, नगर व तहसील - सिरसागंज, जिला - फिरोजाबाद

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 16/10/2023 एवं 11:59:33 AM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जितेन्द्र कुमार यादव प्रभारी
उप निबंधक :शिकोहाबाद
फिरोजाबाद
16/10/2023

निबंधक लिपिक
16/10/2023

प्रिंट करें

- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन करना।

(ग) प्रबंधक/मंत्री :–

- ट्रस्ट की दो वार्षिक बैठकों, अन्य सभी प्रकार की बैठकों का अयोजन करना।
- ट्रस्ट एवं सम्बन्धित संस्थाओं की समस्त प्रकार की कार्यवाही को बैठक में प्रस्तुत करना एवं अध्यक्ष के निर्देशानुसार समस्त प्रकार के प्रशासनिक कार्य करना।

(घ) कोषाध्यक्ष :–

- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समस्त प्रकार के वित्तीय कार्य करना एवं उनका रख–रखाव करना तथा अध्यक्ष के निर्देशानुसार उसके साथ खातों का संचालन करना।
- अध्यक्ष की लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त किसी व्यक्ति को ट्रस्ट का सदस्य बनाने हेतु शुल्क प्राप्त करना तथा तद्नुसार ही चल सम्पत्ति दान के रूप में प्राप्त करना।
- अपने दायित्व से सम्बन्धित समस्त प्रकार के अभिलेखों का रख–रखाव करना।

(ड.) ट्रस्टी सदस्य :–

- ट्रस्ट की बैठकों में प्रतिभाग करना तथा मत देना।

ट्रस्ट डीड में संशोधन :–

वर्तमान ट्रस्ट डीड में यदि प्रबन्ध समिति संशोधन करना चाहे तो समिति के दो तिहाई बहुमत के आधार पर वाँछित संशोधन किया जा सकेगा जो पंजीकरण की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

विघटन :– अगर कभी इस ट्रस्ट के विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है तो यह इण्डियन ट्रस्ट एक्ट के अधीन होगा।

ट्रस्ट की सम्पत्ति :–

ट्रस्ट के निष्पादन के समय ट्रस्ट के पास, ट्रस्टीयों द्वारा समर्पित 2,00,000/– दो लाख रूपये के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई चल–अचल सम्पत्ति नहीं है।

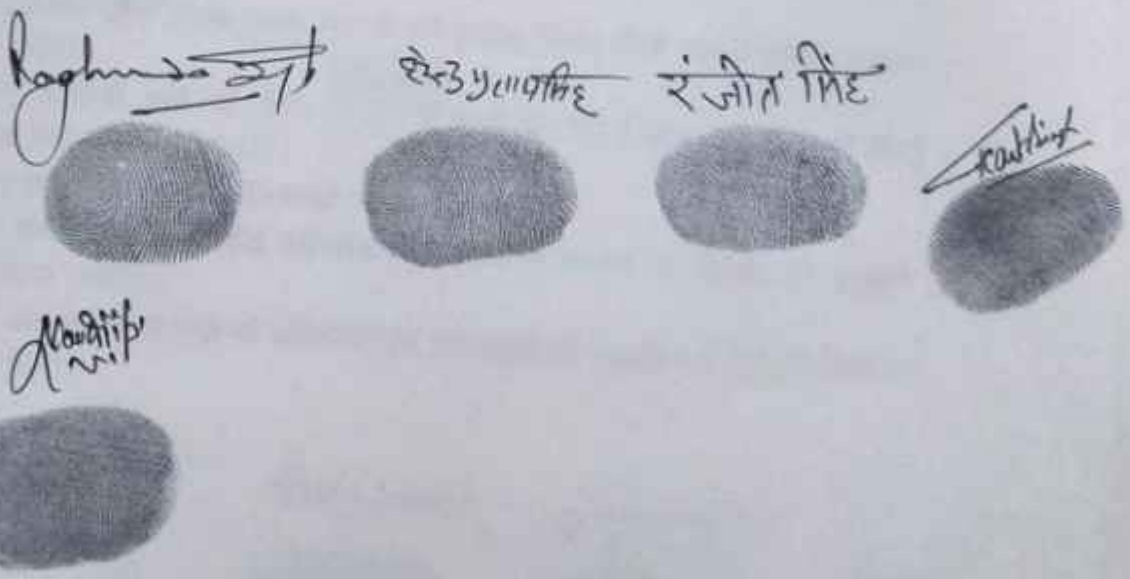

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1

श्री तरुण नरसिंह , पुत्र श्री अरविन्द कुमार सिंह

निवासी: 78, नरसिंह भवन, इटावा रोड, नगर व तहसील- सिरसागंज

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री अनुभव नरसिंह , पुत्र श्री राजेश कुमार

निवासी: इटावा रोड, नगर व तहसील - सिरसागंज, जिला - फिरोजाबाद

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

जितेन्द्र कुमार यादव प्रभारी
उप निबंधक : शिकोहाबाद
फ़िरोजाबाद
16/10/2023

निबंधक लिपिक फ़िरोजाबाद
16/10/2023

प्रिंट करें

प्रतिबन्धों की बाध्यता :–

(क) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ख) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(ग) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर–प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद /बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

(ङ) संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध करावे जायेगें।

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उसका पालन करेगी।

(ज) विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है तथा भविष्य में भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जायेगी।

(झ) विद्यालय का रिकॉर्ड प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(ञ) उपर्युक्त क्रम क से झ में कोई परिवर्तन/संशोधन बिना शासन एवं विभाग की अनुमति के नहीं दिया जायेगा।

(ट) उपर्युक्त क्रम क से ज तक के प्रतिबन्धों को सोसाइटी के बाइलॉज में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

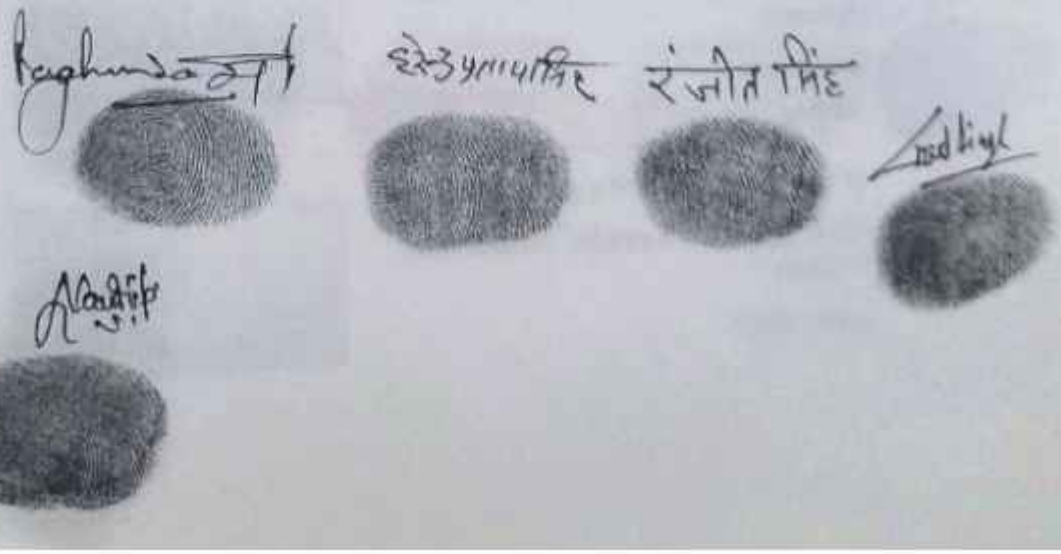

आवेदन सं०: 202300774014082

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 74 वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रतेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री राघवेन्द्र सिंह, पुत्र श्री नरोत्तम सिंह

निवासी: इटावा रोड, नगर व तहसील - सिरसागंज, जिला - फिरोजाबाद

व्यवसाय: अन्य

न्यासी: 2

श्री हरेन्द्र प्रताप सिंह, पुत्र श्री कर्णपाल सिंह

निवासी: इटावा रोड, नगर व तहसील - सिरसागंज, जिला - फिरोजाबाद

व्यवसाय: कृषि

न्यासी: 3

श्री रंजीत सिंह, पुत्र श्री कृष्णपाल सिंह

निवासी: इटावा रोड, नगर व तहसील - सिरसागंज, जिला - फिरोजाबाद

व्यवसाय: अन्य

न्यासी: 4

श्री चन्द्रकान्त सिंह, पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह

निवासी: इटावा रोड, नगर व तहसील - सिरसागंज, जिला - फिरोजाबाद

व्यवसाय: अन्य

न्यासी: 5

श्री नवदीप कुमार, पुत्र श्री अरविन्द कुमार

निवासी: इटावा रोड, नगर व तहसील - सिरसागंज, जिला - फिरोजाबाद

व्यवसाय: नौकरी

अतः मैं **राघवेन्द्र सिंह** पुत्र स्व0 श्री नरोत्तम सिंह, निवासी– नरसिंह भवन, इटावा रोड, नगर व तहसील–सिरसागंज, जिला–फिरोजाबाद, आज दिनांक 14/10/2023ई0 को इस ट्रस्ट का पंजीकरण कराकर इसकी स्थापना करता हूँ। लिहाजा यह न्यास पत्र तहरीर कर दिया कि सनद रहे। मसौदाकर्ता– नितिन श्रीवास्तव, एडवोकेट, तहसील– शिकोहाबाद।

14/10/23

Nitin Shrivastava
Advocate
Reg. No.- UP00308/18
Tehsil, Shikohabad (Firozabad)

गवाह : तरूण नरसिंह पुत्र स्व0 श्री अरविन्द कुमार सिंह
निवासी – 78, नर सिंह भवन, इटावा रोड,
नगर व तहसील – सिंरसागंज, जिला – फिरोजाबाद
आधार नं0 – 6773 6605 4249
मो0 नं0 – 9997629976

गवाह : अनुभव नरसिंह पुत्र श्री राजेश कुमार
निवासी – इटावा रोड, नगर व तहसील – सिंरसागंज,
जिला – फिरोजाबाद
आधार नं0 – 8850 1222 6021
मो0 नं0 – 8791516005

आवेदन सं०: 202300774014082

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 48 के पृष्ठ 87 से 116 तक क्रमांक 74 पर दिनाँक 16/10/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जितेन्द्र कुमार यादव प्रभारी
उप निबंधक : शिकोहाबाद
फ़िरोजाबाद
16/10/2023